जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर

सत्र वाद संख्या 490/2023
राजापाकर थाना कांड संख्या 231/2021

पश्चात्
दिनांक 08.07.2025

दिनांक 09.06.2025 को ही निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था।

'एक मात्र अभियुक्त काजल पटेल की ओर से दाखिल प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया गया और इसे स्वीकृत किया जाता है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 09.08.2024 को धारा 302/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठित किया गया है तथा दिनांक 18.11.2024 को साक्षी प्रकाश कुमार को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 16 से यह स्पष्ट होता है कि सदर अस्पताल हाजीपुर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुआ है जिसे डॉक्टर राकेश कुमार द्वारा तैयार किया गया हे किन्तु अभिलेख पर मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है अतः कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस वाद में आरक्षी अधीक्षक वैशाली के माध्यम से अनुसंधान पदाधिकारी प्रीती कुमारी और थाना प्रभारी राजापाकर के माध्यम से मूल पोस्टर्माम रिपोर्ट को अधीक्षक सदर अस्पताल के माध्यम से प्राप्त कर न्यायालय में दाखिल करे। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में वर्तमान थानाध्यक्ष राजापाकर को सम्मन निर्गत करे ताकि वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। कार्यालय वादी मदन सिंह पिता स्व0 जयनारायण सिंह के विरूद्ध गैरजमानतीय अधीपत्र निर्गत करे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक वैशाली, सिविल सर्जन वैशाली, अधीक्षक सदर अस्पताल हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित करे। अभियोजन को आगाह किया जाता है कि इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC NO. 512/2022 में आदेश दिनांक 14.10.2022 द्वारा निर्देश दिया गया है और कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश की प्रति इस आदेश फलक के सारांश के साथ लगाते हुए उपरोक्त वर्णित संबंधित प्राधिकारों को भेज दी जाये। चूकि मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कांड दैनिकी के साथ उपलब्ध नहीं कराना निष्पक्ष विचारण के अवधारणा के विरूद्ध है और घोर लापरवाही है। संबंधित प्राधिकार इसे अति आवश्यक समझे।

दिनांक 08.07.2025 को अभियोजन साक्ष्य हेतु'

तत्पश्चात कार्यालय द्वारा उपरोक्त आदेश का पालन किया गया है। किन्तु वर्तमान थानाध्यक्ष राजापाकर द्वारा अभी तक मूल पोस्टमार्टम रिर्पोट न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है जो कि गंभीर चूक है और न्यायालय के आदेश की अवमानना है। पूर्व में इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक वैशाली, सिविल सर्जन वैशाली और अधीक्षक सदर अस्पताल हाजीपुर को भी माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिए गए आदेश से अवगत भी करा दिया गया था किन्तु अभी भी इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसी स्थिति में **कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह थाना प्रभारी राजापाकर को पुनः पुलिस अधीक्षक वैशाली के माध्यम से सम्मन निर्गत कर अगली तिथि को पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश जारी** करें। कार्यालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह सा**क्षी वादी मदन सिंह पिता जयनारायण सिंह के विरूद्ध जमानतीय वारंट निर्गत** करे। इस वाद में प्रीती कुमारी पु0अ0नि0 वरांटी ओ0पी0 द्वारा अनुसंधान किया गया है और बंगा कुमार सोरेन पु0अ0नि0 भी इसमें सम्मिलित है। अर्चना कुमारी ओ0पी0 अध्यक्ष बरांटी द्वारा आरोप पत्र को अग्रसारित किया गया है। **अतः कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इनके विरूद्ध भी सम्मन निर्गत किया जाये।** ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में जानकारी न्यायालय को प्राप्त हो सके। **कार्यालय इस आदेश की एक प्रति पुनः पुलिस अधीक्षक वैशाली, सिविल सर्जन वैशाली और अधीक्षक सदर अस्पताल हाजीपुर एवं थाना प्रभारी राजापाकर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।**

दिनांक 02.08.2025 को साक्ष्य हेतु।

लेखापित
(गौरव कमल)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय